न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी– सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

प्रा.प. संख्या 01 / 2022

सुनिता पत्नी बजरंगलाल जाति जाट निवासी तारपुरा तहसील व जिला सीकर

–प्रार्थीया–

बनाम

1. परबला पुत्र मांगू जाति गुर्जर निवासी पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर
2. तहसीलदार सीकर

– अप्रार्थीगण –

आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक – 24.8.2023

प्रार्थीया द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 3771 / 3382 रकबा 0.7900 है0 अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 22.7.2015 को जरिज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी जो रास्ता सहित क्रय की थी जिसका उल्लेख विक्रय पत्र में भी है । उक्त वर्णित भूमि क्रय करते समय खसरा नम्बर 4094 / 3383 जो अप्रार्थी की ही भूमि थी की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 10 फिट चौड़े रास्ते की भी कीमत अदा कर खरी किया था जो रास्ता कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 4097 / 3388 से खसरा नम्बर 4094 / 3388 की उत्तरी सीमा में प्रवेश कर दक्षिण की आरे खसरा नम्बर 3771 / 3382 की पश्चिमी सीमा में प्रवेश करता हुआ मौके पर मोजूद था जिसका नजरी नक्शा आवेदन के साथ है। रास्ते की चौड़ाई कम होने के कारण प्रार्थीया ने रास्ते की चौड़ाई बढाकर 15 फिट करके देने को कहा तो अप्रार्थी ने इन्कार कर दिया तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने से भी इन्कार कर दिया। प्रार्थीया ने 10 फिट चौड़े रास्ते की किमत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तस्दीक करवाने के दि नही अदा कर दी थी तथ अब 5 फिट चौड़े रास्ते की प्रतिकर

राशि या भूमि के बदेने भूमि देने के लिये तेयार है। अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 3771/3382 में आने आजने हेतु अप्रार्थी के खसरा नम्बर 4094/3383 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे नजरी नक्शे कु अनुसार प्रस्तावित 15 फिट चौड़ा राजस्व राजस्व रिकार्ड दर्ज कर सीमाचिन्ह कायम करने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार से रास्ते बाबत नियमानुसार प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु तहरीर जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये वकील उपस्थित रहे जवाब प्रस्तुत नहीं किया । तहसीलदार की रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2022/418 दिनांक 5.1.2022 प्राप्त हुई। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने आपत्ति प्रस्तुत की व प्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 1 की आपत्ति के कथन प्रमाणित नहीं होते है। इसलिये आपत्ति खारिज की जाती है। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार रास्ता कटान पर किये जाने में भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी सहमती प्रदान की ।

बहस वकील उभय पक्ष सूनी गई। हमने बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्ताव तहसीलदार का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । रिपोर्ट तहसीलदार सीकर का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित किया गया है कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आवागमन के लिये अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा लधुतम दुरी भी प्रस्तावित रास्ते की ही है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार रास्ता दिये जाने के लिये भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की है। जिससे यह स्पष्ट है कि उन्हे भी रास्ता दिये जाने बाबत कोई आपत्ति नहीं है।

उपर्यूक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये रास्ते की अत्यन्त आवश्कता है तथा रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन हेतु लघुतम दुरी का रास्ता नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार के प्रस्ताव क्रमांक राजस्व/2022/418 दिनांक 5.1.2022 में दिये गये नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3771/3382 में से 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन हैतु कटान में किये जाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थी भूमि के बदले भूमि लेना चाहता है। तहसीलदार के

प्रस्तावानुसार भूमि प्राप्त कर सकता है। तहसीलदार का प्रस्ताव क्रमांक राजस्व/2022/418 दिनांक 5.1.2022 मय नजरी नक्शा निर्णय के भाग रहेगें। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है इसके अनुसार आदेश की पालना करें।

निर्णय आज दिनांक 24-8-2023 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी सीकर